संख्या- 13 /2022/980ई-2/तेरह-2022-131/2017

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 मई, 2022

विषय- मे. डी.सी.एम. श्रीराम लि., डिस्टिलरी यूनिट अजबापुर, जनपद लखीमपुर खीरी में पूर्व से स्थापित 225 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट को डुअल मोड अर्थात् शीरे/केन जूस के अतिरिक्त ग्रेन से चलाये जाने तथा आसवनी की क्षमता डुअल मोड पर ही 225 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 356 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 340 कार्यकारी दिवस के आधार पर 1210.40 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी132/दो-प्रा.डी.-30, दिनांक 11-02-2022 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ. प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 10-05-2022 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-826ई-2/तेरह-2022-131/2017, दिनांक 13-05-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11-02-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स डी.सी.एम. श्रीराम लि., डिस्टिलरी डिस्टिलरी यूनिट अजबापुर, जनपद लखीमपुर खीरी में पूर्व से स्थापित 225 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट को डुअल मोड अर्थात् शीरे/केन जूस के अतिरिक्त ग्रेन से चलाये जाने तथा आसवनी की क्षमता डुअल मोड पर ही 225 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 356 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 340 कार्यकारी दिवस के आधार पर 765 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 1210.40 लाख लीटर वार्षिक किये जाने हेतु 131 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का शीरा/ग्रेन एवं केन जूस/शुगर सीरप पर आधारित प्लान्ट स्थापित किये जाने, जिसके अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं एथनॉल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा उत्पादन करते समय निम्नलिखित शर्तों का भी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगाः-

(क) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021, गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 23-02-2021 तथा आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अनापत्ति पत्र दिनांक 01-04-2021 में लगायी गयी शर्तें।

(ख) नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना जाना आवश्यक होगा।

(ग) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(घ) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।